प्रेस विज्ञप्ति
जनपद-बस्ती
दिनांक-26.02.2021

थाना क्षेत्र परसरामपुर के ग्राम बबुऔना में हुई गोली काण्ड का 12 घंटे के अन्दर खुलासा, चार अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त असलहा व कारतुस बरामद ।

पुलिस अधीक्षक महोदय बस्ती श्री हेमराज मीना के निर्देश के क्रम में जनपद बस्ती में अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री रवीन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण मे क्षेत्राधिकारी हरैया श्री शेषमणी उपाध्याय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक परसरामपुर श्री राजेश कुमार मिश्र मय टीम व प्रभारी SOG निरीक्षक श्री मृत्युंजय पाठक तथा स्वाट टीम प्रभारी उ 0नि0श्री विनोद कुमार यादव मय टीम की संयुक्त कार्यवाही में थाना क्षेत्र परसरामपुर के ग्राम बबुऔना में अशोक यादव के उपर हुई जानलेवा हमला के सम्बंध में पंजीकृत मु0अ0सं0 71/21 धारा 307,120 B IPC का 12 घंटे के अन्दर दिनांक 26.02.2021 खुलासा करते योजनाबद्ध घटना में शामिल चार अभियुक्तो को छपिया रोड नारायनपुर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. मस्तराम यादव पुत्र अलखराम यादव सा0 बैराडीह थाना छपिया जनपद गोण्डा ।
2. आलोक सिंह पुत्र राघवेन्द्र प्रताप सिंह सा0 बबुऔना थाना परसरामपुर जनपद बस्ती।
3. प्रदीप गौतम पुत्र शिवशंकर सा0 बबुऔना थाना परसरामपुर जनपद बस्ती।
4. गुरुप्रसाद पुत्र राम केवल सा0 बबुऔना थाना परसरामपुर जनपद बस्ती।

बरामदगी का विवरणः-

1. एक अदद पिस्टल (आला जरब) .32 बोर ।
2. नाल में फसा हुआ एक बुलेट.32 बोर व चार अदद जिंदा कारतुस .32 बोर
3. दो अदद कट्टा 315 बोर,
4. छः अदद जिंदा कारतुस 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतुस 12 बोर ।

घटना/पुछताछ का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 25.02.2021 को सूचना मिली की ग्राम बबुऔना थाना क्षेत्र परसरामपुर में कुछ बदमास अशोक यादव पुत्र स्व0 मोतीराम यादव को गोली मार दिये है, इस सुचना पर पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पुर्व से ही क्षेत्र में भ्रमणशील प्रभारी निरीक्षक परसरामपुर, SOG टीम व स्वाट टीम मौके पर पहुचकर घायल अशोक यादव को पुलिस की सुरक्षा में चिकित्सा हेतु CHC परसरामपुर भेजा गया तथा घटना स्थल को सुरक्षित करके घटना के सम्बंध में पतारसी सुरागरसी किया गया तदोपरान्त ग्रामिणो व आस पास के प्रत्यक्षदर्शियो से पुछताछ किया गया तो पता चला की आलोक सिंह आपसी मुकदमें

बाजी को लेकर प्रतिपक्षी पंकज कुमार सिंह जो वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि है उनसे रंजीश रखते है, इसी रंजिश के कारण आलोक सिंह ने अपने घर में दिनांक 25.02.2021 को अशोक यादव,प्रदीप गौतम, गुरुप्रसाद, व अशोक यादव के रिस्तेदार मस्तराम यादव को साजिस में शामिल करके बैठक किये । इसी बैठक के बाद रात्रि करीब 7.30 बजे सभी चारो लोग अशोक के घर आये । आलोक सिंह व गुरुप्रसाद, अशोक यादव के घर के बगल की गली में असलहे के साथ खड़े रहे तथा प्रदीप गौतम व मस्तराम यादव अशोक के घर गये । मस्तराम मोटरसाइकिल पर ही बैठा रहा तथा प्रदीप अशोक के घर के बरामदे में गया व उनके घर की लाइट बंद कर दिया । योजनानुसार प्रदीप गौतम को गोली मारनी थी परन्तु वह हिम्मत नही कर पाया तो अशोक ने स्वयं ही पिस्टल लेकर एक फायर हवा में किया तथा दुसरी गोली अपनी बायीं बॉह में मार ली । उसके बाद अशोक के अलावा सभी लोग शस्त्र लेकर फरार हो गये । आलोक नें अपने मोबाइल से 108 नम्बर पर एम्बुलेंस को सुचना दे दी । मौके पर प्रत्यक्षदर्शियो से वार्ता,पुछताछ,घटनास्थल की परिस्थितीयो का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद पक्का यकीन हो गया की यह घटना अशोक यादव तथा उसके साथियो द्वारा स्वयं ही की गयी है। मुखबिर खास की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा उक्त चारो अभियुक्तो को छपिया रोड नारायनपुर से गिरफ्तार कर लिया गया । तथा उनके पास से घटना में प्रयुक्त पिस्टल व अन्य अवैघ अलहे बरामद किये गये।

आपराधिक इतिहास आलोक कुमार सिंह-

1.मु0अ0सं0 145/20 धारा 147,323,504,506 IPC थाना परसरामपुर जनपद बस्ती ।

2.मु0अ0सं0 86/20 धारा 110 G CRPC थाना परसरामपुर जनपद बस्ती ।

3. NCR 176/20 धारा 323,504 IPC थाना परसरामपुर जनपद बस्ती ।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक परसरामपुर श्री राजेश कुमार मिश्रा
2. SOG प्रभारी निरीक्षक श्री मृत्युंजय पाठक
3. स्वाट टीम प्रभारी उविनोद कुमार यादव 0नि0
4. SSI कन्हैया पाण्डेय थाना परसरामपुर जनपद बस्ती ।
5. SI मनीष कुमार जायसवाल थाना परसरामपुर जनपद बस्ती ।
6. हे0का0 मनोज राय हे0का0 मनिन्द्र प्रताप चन्द,कांरविशंकर शाह 0,कांरमेश गुप्ता 0,कांदेवेन्द्र 0 निषाद स्वाट टीम बस्ती ।
7. हे0का0 बुधेश कुमार हे0का0 दिलीप कुमार हे0का0रामसुरेश यादव काअजय यादव 0 SOG बस्ती ।
8. का0 कासी कुमार, का0 दिवाकर कनौजिया, का0 हरेन्द्र यादव थाना परसरामपुर जनपद बस्ती।